प्रेस विज्ञप्ति

(दिनांक 10.12.2018)

मतगणना :-

दिनांक 11.12.2018 को समस्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आयोग से अधिसूचित मतगणना स्थलों पर प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारम्भ की जावेगी।

मतगणना के पूर्व ईव्हीएम स्ट्रांग रूम को कलेक्टर/रिटर्निंग अधिकारी, आब्जर्वर तथा अभ्यर्थियों/अभिकर्ता की उपस्थिति में खोला जायेगा।

समस्त 230 विधानसभाओं हेतु 306 मतगणना हॉल में मतगणना की जावेगी जिसमें 3220 टेबिलें मतगणना हेतु लगाई जा रही है।

154 विधान सभा क्षेत्रों की मतगणना 1 कक्ष में (14 टेबल) कराई जावेगी, जबकि 76 विधान सभा क्षेत्रों की मतगणना 2 कक्षों में (7–7 टेबल लगाकर) कराई जावेगी ।

मतगणना औसतन 22 राउण्ड में पूर्ण होगी । अधिकतम 32 राउण्ड विधान सभा क्षेत्र 208–इन्दौर–5 में तथा न्यूनतम 15 राउण्ड विधान सभा क्षेत्र 86–कोतमा, जिला अनूपपुर में होंगें ।

मतगणना के लिए रिजर्व कर्मियों सहित लगभग 15000 अधिकारी/कर्मचारियों को लगाया जाएगा। मतगणना कर्मियों का तीन रेण्डमाईजेशन किया जाना है। प्रथम रेण्डमाईजेशन मतगणना के 7 दिवस पूर्व किया जा चुका है। द्वितीय रेण्डमाईजेशन भी 24 घण्टे पहले आर्ब्जवर की उपस्थिति में किया जा चुका है तथा तीसरा रेण्डमाईजेशन आर्ब्जवर की उपस्थिति में मतगणना दिवस को सुबह किया जावेगा। जिसमें विधानसभा वार टेबिल आवंटन किया जायेगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना हेतु 230 ऑब्जर्वर को तैनात किया गया है और यह ऑर्ब्जवर अपने–अपने जिला मुख्यालयों पर उपस्थित हो गए है। उनकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की बेवसाईट पर उपलब्ध है।

भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे मतगणना परिणाम :-

विधानसभा निर्वाचन 2018 की मतगणना दिनांक 11-12-2018 को प्रात: 8:00 बजे से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रारंभ होगी | सर्व प्रथम पोस्टल वैलेट की गणना प्रारंभ होगी तत्पश्चात 08:30 बजे से EVM मशीनों की मतगणना प्रारंभ होगी | मतगणना के परिणाम भारत निर्वाचन आयोग की वैब साईट **eciresults.nic.in** पर देखे जा सकेंगे | इसकी लिंक **www.ceomadhyapradesh.nic.in** की वैबसाईट पर दी जा रही है, इस लिंक से भी गणना परिणाम देखे जा सकेंगे| रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्येक चक्र की

गणना पूर्ण होने के उपरांत प्रत्याशियों को प्राप्त मतों की स्थिति की जानकारी ECI की वैब साईट पर तत्काल अपलोड की जावेगी, जिसे निरंतर अपडेट किया जाता रहेगा | कोई भी व्यक्ति उक्त वैब साईट पर जाकर मतगणना की अद्यतन स्थिति प्राप्त कर सकता है।

<u>वेबकास्टिंग/सी.सी.टी.वी. कैमरे का उपयोग</u> :-

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस एवं मतगणना की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से चिन्हित मतदान केंद्र एवं मतगणना स्थल पर वेबकास्टिंग/सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश हैं। विधानसभा निर्वाचन 2018 अंतर्गत मतदान दिवस पर प्रदेश के लगभग 14,000 मतदान केन्द्रों पर कैमरे लगाये गये उनमें 6500 चिन्हित मतदान केंद्रों का सीसीटीवी फुटेज की वेबकास्टिंग कराई गई जिसका लाईव फुटेज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं भारत निर्वाचन आयोग को भी उपलब्ध कराया गया था। मतदान पश्चात सभी जिलों के मतगणना केंद्र परिसर में 5–5 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि मतगणना दिवस पर पारदर्शिता एवं कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। इसके साथ ही प्रत्येक मतगणना हॉल में 3–3 सीसीटीवी कैमरे का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार मतगणना प्रक्रिया की पूरी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। पूर्व में मतगणना हॉल के सीसीटीवी फुटेज की वेबकास्टिंग किए जाने हेतु कार्य योजना तैयार की गई थी परंतु वेबकास्टिंग की प्रक्रिया हेतु आवश्यक तकनीकी संसाधन, मैन पॉवर, हार्डवेयर एवं वाईफाई नेटवर्क की अनिवार्यता को देखते हुए मतगणना केन्द्र में किसी भी प्रकार की वेबकास्टिंग नहीं किये जाने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। नवीन निर्देश अनुसार अब प्रत्येक मतगणना केंद्र में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की जाएगी।

<u>परिणाम संबंधी अभिलेख</u> :-

मतगणना के पश्चात् समस्त रिटर्निंग ऑफिसरों द्वारा अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्रवार प्राप्त मतों की जानकारी प्रारूप-20 में दी जावेगी तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बेवसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

विजयी उम्मीदवार को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रारूप 21–ग में विजयी घोषित किया जाता है ।

मतगणना के पश्चात् प्रारूप 21–ङ में निर्वाचन की विवरणी की घोषणा की जावेगी, जिसमें समस्त अभ्यर्थियों को प्राप्त विधिमान्य मत, नोटा को प्राप्त मत, निविदत्त मतों का विवरण होगा ।

रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा प्रारूप –22 में विजयी उम्मीदवार को निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है ।

विधान सभा का विघटन तथा गठन :-

मतगणना के पश्चात् परिणामों की घोषणा रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा की जावेगी, तथा प्ररूप 21–ङ (निर्वाचन की विवरणी), 21–ग (निर्वाचन की घोषणा) सभी विधान सभा क्षेत्रों के प्राप्त हो जाने पर विशेष वाहक के हस्ते इन्हें भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को भेजा जावेगा, जिसके आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई विधान सभा के गठन संबंधी अधिसूचना जारी की जावेगी ।

नवीन विधानसभा गठन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करने के पूर्व संसदीय कार्य विभाग द्वारा वर्तमान विधान सभा के विघटन की अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन कराया जावेगा ।

मतगणना पश्चात् ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपीएटी की सीलिंग :-

मतगणना के पश्चात् ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपीएटी को आयोग के निर्देशानुसार पुनः सील किया जावेगा। सभी मशीनों को बक्से (**Carrying case**) में रखकर पुनः सील किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर एवं केन्द्रीय प्रेक्षक (**Observer**) अपने हस्ताक्षर सहित मुहर करेंगे एवं सभी उम्मीदवारो एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी अपने हस्ताक्षर सहित मुहर लगाने की अनुमति होगी।

मतों की गणना के पश्चात् ईव्हीएम (बैटरी सहित) एवं व्हीव्हीपीएटी (व्हीव्हीपीएटी स्लिप, पेपर रोल एवं बैटरी सहित) उसी स्ट्रांग रूम में रखी जावेगी।

निर्वाचन याचिका दाखिल करने की अवधि पूर्ण होने तक, सबंधित माननीय उच्च न्यायालय से निर्वाचन याचिका सूची प्राप्त होने तक सभी मशीन स्ट्रांग रूम में रखे जावेगें। निर्वाचन याचिका दाखिल करने की अवधि परिणाम घोषित होने से 45 दिन तक होती है।